उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या- 14/2017/1861/37-3-2017-3(05)/2016 टी0सी0
लखनऊः दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

डा0 जे0पी0एन0 सिंह, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद के पद से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त हुए। डा0 जे0पी0एन0 सिंह से मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद का चार्ज डा0 जी0एन0 सिंह द्वारा लिया गया, जो तत्समय प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद भी थे। सेवानिवृत्ति के समय डा0 जे0पी0एन0 सिंह द्वारा कैशबुक का चार्ज हस्तगत नही किया गया। बाद में कैशबुक के प्रभार के संबंध में उनके द्वारा डा0 जी0एन0 सिंह से कई बार पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु डा0 जी0एन0 सिंह द्वारा इस पर ध्यान न देते हुए टाल-मटोल किया जाता रहा। इस संबंध में डा0 जे0पी0एन0 सिंह के पत्र दिनांक 22.04.2017 में की गयी शिकायतों के क्रम में शासन के पत्र संख्या-155/37-3-2017, दिनांक 18.05.2017 द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को डा0 जी0एन0 सिंह तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद/प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

2- डा0 जी0एन0 सिंह का स्पष्टीकरण निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-209/स्था0-3/53बी(309), दिनांक 14.06.2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ। डा0 सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा डा0 जे0पी0एन0 सिंह से दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से कैशबुक का चार्ज तथा सरकारी सी0यू0जी0 सिम तत्काल हस्तगत कराने हेतु बार-बार अनुरोध किया गया, किन्तु डा0 जे0पी0एन0 सिंह द्वारा इसे गम्भीरता से नही लिया गया, जिसके फलस्वरूप डा0 जी0एन0 सिंह के कार्यकाल तक कैशबुक का चार्ज नही हो सका।

3- शासन के पत्र संख्या-1372/37-3-2017-3(05)/2016 टी.सी., दिनांक 06.10.2017 द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रकरण में निहित किसी शासकीय क्षति संबंधी सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जो उनके पत्र संख्या-480/स्था0-3/53बी(309), दिनांक 11.10.2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुई, जिसमें किसी शासकीय क्षति का उल्लेख नही किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र, अपचारी अधिकारी के स्पष्टीकरण, निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग द्वारा शासकीय क्षति के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना/आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 जे0पी0एन0 सिंह द्वारा डा0 जी0एन0 सिंह के संबंध में की गई शिकायतों को बलहीन पाया गया है तथा उनके द्वारा प्रकरण में किसी शासकीय धनराशि की क्षति की पुष्टि नही हुई है।

5- अतः एतद्द्वारा श्री राज्यपाल डा0 जी0एन0 सिंह, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद/प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली को भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रकरण को समाप्त/निक्षेपित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-14/2017/1861 (1) /37-3-2017, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2, द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- पशुधन अनुभाग-1।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।